The Uttar Pradesh Aabkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 9 of 1978

Keyword(s):
Excise, Collector, Excise Collector, Excise Duty, Licencee, Amendment

Amendment appended: 30 of 1978

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

156259

(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

L.A
15/78.9H
Cab.2

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 अप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 25 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 से, खण्ड (5) निकाल दिया जायगा। संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 4, 1910 की धारा 3 का संशोधन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 5 अप्रैल, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3--खंड (क) देखिये)

धारा 11 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

अपील और पुनरीक्षण

"11—(1) कलेक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी (जो आबकारी आयुक्त नहीं है), इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त को की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायगी, जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाय, और जब तक कि अपीलकर्ता ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किय जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है।

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश से संबंधित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मांग सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है, और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को परिष्कृत, विखंडित, उलटना या पुनर्विचार के लिये पुनः प्रेषित करना चाहिये तो वह तद्नुसार आदेश दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश से तीस दिन के भीतर न दिया जाय और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राह्य हो, दायर न कर दी गयी हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गयी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति कर, फीस, शास्ति, या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की किसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है।"

धारा 20 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी।

धारा 22 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 22 में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी सम्मिलित है) शब्द "अट्ठारह वर्ष" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 23 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 23 में, पार्श्व शीर्षक और उपधारा (1) में, शब्द "अट्ठारह वर्ष", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 28-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

कतिपय दशाओं में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का आरोपण

"28-क—(1) जहां किसी यवासनी म, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करें, परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाय, वहां यवासव ऐसे अधिक परिमाण पर धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा।

(2) जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाय और यह कमी (यवासवनी में वाष्पन, सलेज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए और बोतल में भरने और भण्डार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिए भी दी गयी) दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाय, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक को ऐसी कमी के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क को साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा।"

8--मूल अधिनियम की धारा 49 में,-- धारा 49 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "किसी थाने के प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप निरीक्षक" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 14" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12" रख दिये जायेंगे।

9--मूल अधिनियम की धारा 53 में उपधारा (1) में शब्द "थाने के प्रभारी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उप निरीक्षक" रख दिये जायेंगे। धारा 53 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 54 में,-- धारा 54 का संशोधन

(क) शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जायेंगे;

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "धारा 62 या धारा 65" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 62, धारा 64-क या धारा 65" रख दिये जायेंगे।

11--मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:-- धारा 55 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"55--धारा 60 की उपधारा (2) धारा 62 और धारा 64-क के अधीन दण्डनीय-समस्त अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होंगे।"

कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे

12--मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:-- धारा 60 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"60--(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का या इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके--

अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिये शास्ति

(क) चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन, करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) की खेती करता है, या

(ग) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या

(घ) कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, वर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

(छ) विक्रय के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, या

(ज) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वृक्षों वाले से ताड़ी चुआता है, या निकालता है,

उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायगा जो खण्ड (अ) के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसी उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद-शुल्क की राशि के दस गुने या पांच सौ रुपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है उसे कारावास का, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा और अर्थ-दण्ड भी दिया जायगा जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।"

धारा 61 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 61 में (जिसमें उसका पार्श्व शीर्षक भी सम्मिलित है), शब्द "अट्ठारह" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "इक्कीस" रख दिया जायगा।

धारा 62 के स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

विकृत स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिये शास्ति

"62—जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं, जो विकृत हो गयी हो, मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनायी गयी हो या जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो, उसे ऐसी अवधि के लिये जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दण्ड दिया जायगा और वह अर्थदण्ड से भी जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि उसमें किसी मात्रा में विकारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है।"

धारा 63 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द "तीन माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष"; और शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 64 के स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

16—मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति

"64—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए, और उसकी ओर से कार्य करते हुए—

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार मांगने के लिये सम्यक् रूप से अधिकृत हो, ऐसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझ कर कोई ऐसा कार्य या कार्य-लोप करता है जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

(ग) ऐसे मामले जिसके लिये धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है,

उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये अर्थ-दण्ड, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा।"

नई धारा 64-क का बढ़ाया जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिये शास्ति

"64-क—(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंस धारक होते हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानिकारक भेषज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविकता या आभाषित मादकता या सान्द्रता बढ़ने की सम्भावना हो, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता तो है जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अधीन अपमिश्रण के अपराध की कोटि

में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड भी, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार तक हो सकता है, दिया जायगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंसधारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता या प्रदर्शित करता है, उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ दण्ड जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा:—

(एक) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो सौ रुपयों का अर्थदण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधोंके लिये छः मास का कारावास और पांच सौ रुपये का अर्थ दण्ड ।"

धारा 69 के स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

18—मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् वर्द्धित दण्ड

"69—यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन या उन धाराओं के उपबन्धों के अधीन जैसे कि वे समय-समय पर थे, दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले सिद्ध दोष ठहराये जा चुकने के पश्चात् इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन पहली दोषसिद्धि पर आरोपित किया जा सकता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 की उपधारा (1), या धारा 63 या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष-सिद्धि की स्थिति में अर्थ-दण्ड सहित कम से कम तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा और धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोषसिद्धि की स्थिति में अर्थ-दण्ड सहित कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिये, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में रुकावट नहीं डालेगी ।"

धारा 69-क का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 69-क में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 60 के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (ज) या धारा 62" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) या उपधारा (2) या धारा 62" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, अंक "1898 ई0" के स्थान पर अंक "1973" रख दिये जायेंगे ।

धारा 70 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 70 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "धारा 63" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 63, धारा 64-क" रख दिये जायेंगे ।

धारा 71-क के स्थान पर नई धारा का प्रति-स्थापन

21—मूल अधिनियम की धारा 71-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

क्षमा आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे

"71-क—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

धारा 74 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

22—मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"74—(1) कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस, परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है।

अपराधों का शमन

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी न जारी रखी जायगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोषमुक्त समझा जायगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

74-क—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

शास्ति-आरोपण

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि लाइसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को—

(क) उन आधारों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गयी हो;

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1976 की धारा 2 का संशोधन

23—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2 में प्रथम वाक्य में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1972" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

वैधीकरण

24—मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आबकारी आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जितना परिणाम कम है उतने के सम्बन्ध में धारा 28-क में, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी गयी है, विनिर्दिष्ट दर से अनधिक दर पर आरोपित कोई उद्ग्रहण, चाहे उसे जुर्माना या किसी अन्य नाम से वर्णित किया जाय, उक्त धारा 28-क के अधीन विधिमान्यतः आरोपित "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

25—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 और उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदे[...] अध्यादेश संख्या 5, सन् 197[...] और उत्तर प्रदेश अध्या[...] देश संख्या [...] सन् 197[...]

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 124 सा० (विधायिका)—28-7-78—(1347)—1978—1,834+50SS (मेके०)।

L.A.
15/78.30 H
Cop. 2

159652

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1978)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 30 अगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा दिनांक 7 सितम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 3, अक्तूबर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 6 अक्तूबर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह, धारा 1, 2, 5 और 6 के सिवाय जो तुरन्त प्रवृत्त होंगी, 1 मई, 1972 से प्रवृत्त समझा जायगा।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध सुनिश्चित करने की दिशा में, संविधान के अनुच्छेद 47 में अधिकथित राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 30 अगस्त 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खंड (क) देखिये]

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 20 का संशोधन

3--उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी और 1 मई, 1972 को निकाली गई समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 24 अप्रैल, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि वह उपधारा निकाली न गई होती तो कोई अपराध न होती।

धारा 37-क का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 37-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायगी, अर्थात्--

मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने, कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने का निषेध।

"37-क--(1) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या उसका परिवहन निषिद्ध होगा।

(2) धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अपवादों के, यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायं, अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा, किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जायं, निषिद्ध होगा।

(3) राज्य में मद्य निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, इस निमित्त भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है, अर्थात् :--

(क) किसी क्षेत्र का स्वरूप, यथा--

(एक) सरकार का मुख्यालय, या

(दो) विद्या केन्द्र, या

(तीन) तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या

(चार) पर्वतीय क्षेत्र, या

(पांच) औद्योगिक क्षेत्र, या

(छः) मद्यनिषेध वाले क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र, या

(सात) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की बस्ती, या

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टितल और जीवन-स्तर भी है, या

(ग) स्थानीय जनमत, या

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोकहित में सारवान हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर, कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य-निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित है।

(4) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह क्षेत्र जिसमें उपधारा (1) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, और जिसमें उपधारा (2)

के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाय और वह दिनांक जिससे किसी क्षेत्र में मद्य निषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को, निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये, कब्जे में रखने, या उसका उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है :—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य ;

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी;

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री;

(घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें औषधीय प्रयोजनों के लिये कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो ;

(ङ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति ;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य निषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण;

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन।

(6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (5) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(7) उपधारा (4) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य निषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके सम्बन्ध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा 35 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

(8) जहां उपधारा (7) के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाय वहां लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें" :

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होतो।

वैधीकरण

5—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायेगी मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय में प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1978

6—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।